राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

04 OCT 2024
04 OCT 2024

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक :

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /
विशिष्ट शासन सचिव,
राजस्थान सरकार।

विषय : दिनांक 01-01-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (**OPS**) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 निरसित होने के उपरान्त भी **NPS** के अन्तर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग परिपत्र दिनांक 28.08.2022, 06.09.2022, 30.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 16.07.2023, 08.08.2023 एवं 31.08.2023.

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28-8-2022 एवं 6-9-2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार कर 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त जिन कार्मिकों ने 1-4-2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक, जो कि 04-10-2024 है, तक एनपीएस के अन्तर्गत राशि का आहरण कर लिया था उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जायेगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरान्त भी यदि दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अन्तर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जायेगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

प्रशासनिक विभाग उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

4/10/24

(देबाशीष पृष्टि)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान,
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
12. प्रशासनिक सुधार विभाग(ग्रुप–6)
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
14. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

5/10/24

(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(NPS 01 /2024)

C:\Users\hp\Desktop\Order_Hindi.docx